न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 36/2021
जी.सी.एम.एस. नं.: 2021/61

1. मामकौरी पत्नी रामकुमार जाति ओड निवासी गोगामेड़ी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. प्रभुदयाल पुत्र रामकुमार जाति ओड निवासी गोगामेड़ी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थीगण

बनाम

1. उमा देवी पत्नी कुम्भाराम जाति ओड निवासी गोगामेड़ी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. औम प्रकाश पुत्र कुम्भाराम जाति ओड निवासी गोगामेड़ी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. गिरधारी लाल पुत्र कुम्भाराम जाति ओड निवासी गोगामेड़ी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
4. वेद प्रकाश पुत्र श्योचन्द जाति कुम्हार निवासी 6 बी.एल.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
5. राम कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति ओड निवासी चक 5 बी.एल.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र राम कुमार जाति ओड निवासी चक 5 बी.एल.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
7. मन्जू पत्नी महावीर पुत्री राम कुमार जाति ओड निवासी लढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री ओम धायल, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री श्याम सुन्दर चान्डक, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1,2,3,5,6**
3. **एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 4 व 7**

–:: **निर्णय** ::–

दिनांक : 24.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अप्रार्थी संख्या 1ता 5 के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 5 बी.एल.एम. तहसील श्री विजयनगर का खाता सं. 9 प.नं. 189/402 मु.नं. 27 का किला नं. 5/2, 6 ता 9, 10/2, 11 ता 13, 19/2, 20/1, 21/1, 22/1 का कुल 2.5940 है कमाण्ड भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के ससुर दादा कुम्भाराम के पिता को अलोट हुई [illegible] कुम्भाराम को उसके पिता से विरासतन प्राप्त हुई। एवं कुम्भाराम [illegible] मृत्यु [illegible] उपरान्त उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को विरासतन प्राप्त हुई [illegible] अप्रार्थी संख्या 5 का 324/1297 हिस्सा भूमि शामिलात खाता [illegible] दर्ज है। इस कारण से प्रार्थीगण का उक्त पैतृक भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसे प्रार्थी [illegible] के अधिकारी है। एवं शेष भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से [illegible] में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 5 जो प्रार्थीया संख्या 1 का पति व प्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का पिता है। इसलिए हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5 के नाम से दर्ज भूमि को अपनी पारिवारिक सम्पति मानते हुए उस पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है और इसमें अपना अथाह परिश्रम व धन खर्च कर भूमि को कृषि योग्य व उपजाऊ बनाया और इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं स्थापित की। जिससे प्रार्थीगण की कृषि भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि में किये गये सुधार की वजह से कृषि भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। प्रार्थीगण का पति/पिता अप्रार्थी संख्या 5 शराबी व नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है। जो अपनी शराब व नशे की लत को पूरा करने के लिए उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर चोरी छुपे उक्त विवादित सम्पति में अपने नाम से दर्ज 324/1297 हिस्सा में से 0.253 है. भूमि को विक्रय करने का इकरार दिनांक 25.05.2021 को कर लिया है। तथा बैयनामा करवाने हेतु दिनांक 04.06.2021 भी नियत कर रखी है। तथा बैयनामा के समय किला नं. 11 में 0.202 है. व 20 में 0.051 है. का कब्जा क्रेता को सम्भलवाने का भी इकरार किया है। जबकि वर्तमान में उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है इसलिए अप्रार्थी संख्या 5 को संयुक्त खाता में दर्ज भूमि के किसी विशेष किलाजात को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। चूंकि अप्रार्थी संख्या 5 को उक्त भूमि विरास्तन में प्राप्त हुई है इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का भी उक्त भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। जिसे प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। परन्तु अप्राथर्थी संख्या 5 हम प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से हमारे विरास्तन हक व हिस्सा से बेदखल व महरूम करने की फिराक में है। इसी अनुक्रम में अप्राथ्थी संख्या 5 ने उक्त विवादित भूमि मे अपने हिस्सा में से 0.253 है. भूमि का एक इकरारनामा भी दिनांक 25.05.2021 तहरीर करवा दिया गया है। तथा शेष भूमि के लिए भी अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा खरीददार की तलाश की जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर हम प्रार्थीगण के हक व हिस्सा से हमें महरूम करने की फिराक में है। जबकि उसे ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 5 के उक्त अनुचित मनसूबों का ज्ञान न होने एवं अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा किये गये इकरारनामा का ज्ञान होने पर हम प्रार्थीगण अपने साथ अपने रिश्तेदारों व गांव के मौतवीर व्यक्तियों को साथ लेकर दिनांक 27.05.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 से मिले व उनसे आग्रह किया कि आप उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण को उनके विधिक हक व हिस्सा की भूमि किला वाईज बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये लेकिन अप्रार्थीगण ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 5 ने एलानिया धमकी दी की विवादित समस्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाता में दर्ज है जिसका नाजायज लाभ उठाकर वह शीघ्र ही इस विवादित कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 5 के नाम दर्ज समस्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किसी भू–माफिया को करके प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से व कब्जा से बेदखल करवा देंगा और हम प्रार्थीगण को हमारे विधिक हिस्से व कब्जा काश्त की कृषि भूमि से महरूम कर देगे। इसलिए वाद पेश करने के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई विकल्प नहीं रहा। बस यही तारीख विनाय मुखास्मत एवं बिनाय दावा है जो प्र[illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। प्रार्थीगण को पूरा अंदेशा है [illegible] अप्रा[illegible]संख्या 5 किसी भी समय अपने उक्त नापाक एवं [illegible] अजाम [illegible] है और उक्त विवादित भूमि को अन्यत्र खुर्द–बुर्द [illegible] सकती है अगर अप्रार्थी संख्या 5 अपने उक्त अवैध एवं नापाक इरादे में कामया[illegible] गया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण के वि[illegible] एवं साम्पतिक अधिकारो का हनन होगा जिसकी पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी इसलिए भी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का मुख्य पेशा कृषि है व उक्त भूमि से प्राप्त आय ही जीवन निर्वाह का एकमात्र

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्रोत है। प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 5 के नाम से दर्ज 324/1297 हिस्सा में से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा की घोषणा करवाकर प्रार्थीगण स्वयं को बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने एवं किला वाईज पृथक-पृथक खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 8 राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्ड होल्डर होने के कारण इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों ही महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि मूल वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक विवादित कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान आदि करने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से बाज व ममनू रहे एवं चल रही किसी सुविधा को बंद या बाधित करने से बाज व ममनू रहे एवं मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के नाम मुश्तरका खाता में 324/1297 हिस्सा भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना स्वीकार है। अप्रार्थी के जीवन काल में प्रार्थीगण कोई हक हिस्सा भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया संख्या 1 पत्नी व प्रार्थी संख्या 2 व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 सन्तान होने के तथ्य स्वीकार है। भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। वर्णित तथ्य व नशा सेवन के गलत व झूठे दर्ज किये जाने से अस्वीकार है। अप्रार्थी रकबा का मालिक काबिज होते हुए समस्त रकबा व अपने हक हिस्सा भूमि को उचित उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी द्वारा कोई चोरी छुपे या नाजायज फायदा उठाकर किसी भूमि हिस्सा को विक्रय करार नहीं कर बल्कि प्रार्थीगण के ज्ञान व जानकारी से रकबा पर पूर्व के चले आ रहे पंजाब नैशनल बैंक शाखा श्री विजयनगर के के.सी.सी. ऋण के अतिदेय राशि के भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था की जाकर रकबा रहन मुक्त करवाया गया अन्यथा सम्पूर्ण रकबा बैंक द्वारा कुर्क/निलाम कर लिया जाता। जिससे अप्रार्थी सम्पूर्ण रकबा से वंचित होकर अनावश्यक परेशानी होती। प्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्ध गलत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अप्रार्थी के जीवित रहते प्रार्थीया संख्या 1 पत्नी अलग से चाहे अनुसार कोई अपना हक व हिस्सा मांगने की विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का कोई 1/5 हिस्सा कानूनी नहीं बनता। प्रार्थीया संख्या 1 मुझ अप्रार्थी की पत्नी होने से दोनों एक ही ईकाई है जिस कारण प्रार्थीया स्वयं अलग से 1/5 हिस्सा भूमि का घोषणा का वाद लाने व किला वाईज खाता विभाजन करवाने की कोई विधिक अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का वाद पत्र विधि बाधित होने से खारिज योग्य है। तीनो महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। इसी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड भूमि खातेदार को अनावश्यक परेशानी होगी जिससे मुकदमा बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र कानूनन विधि बाधित होने से माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय [illegible] खर्चे खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। अन्य अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] अप्रार्थी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील [illegible] अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 5 को विरा[illegible] उनके पिता से प्राप्त हुई है जो अप्रार्थी के पिता के पिता को आवंटित हुई थी। विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 6 व 7 की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें उनका जन्म से हक एवं हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निहित है। भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो अप्रार्थी सं. 5 रिकार्ड में भूमि अपने नाम से दर्ज होने का बेजा फायदा उठाते हुए भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण कर देगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में नहीं आती है तथा प्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी सं. 5 की पत्नी है जो पति पत्नी एकल ईकाई होने से अप्रार्थी सं. 5 के जीवन काल में किसी प्रकार से हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 5 के जीवनकाल में भूमि में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी भूमि का रिकार्डेड टिनेन्ट है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी सं. 5 के नाम रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण का भूमि में जन्म से हिस्सा होने के तथ्य के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा भूमि में अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थीगण का हिस्सा नहीं होने तथा प्रार्थी सं. 1 अप्रार्थी की पत्नी होने के कारण एकल यूनिट होने से अप्रार्थी के जीवनकाल में भूमि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा भूमि पैतृक सम्पत्ति होने तथा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार संयुक्त खाता की भूमि में अप्रार्थी सं. 5 अन्य अप्रार्थीगण के साथ खातेदार दर्ज है। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है, यदि खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति संभावित है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.06.2021 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner